U.P. Stock and Capital Limited

CIN:U67120UP1979PLC004876

`PADAM TOWERS', 14/113, CIVIL LINES, KANPUR-208 001

Mob. No.8004939128, Email: upstockcl@gmail.com, Website: www.upstockcl.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of the Members of U.P. Stock and Capital Limited will be held on Friday, the 22nd September, 2023, at 11.00 A.M. at the Registered Office of the Company at 'Padam Towers' 14/113, Civil Lines, Kanpur- 208001 – U.P. to transact the business as set out in the Notice which alongwith the Annual Report (available at: www.upstockcl.in) is being sent to Members of the Company individually who have registered their e-Mail ID with the Depository Participants/Company through e-Mail and to other members in physical mode.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 15th September, 2023 to Friday, the 22nd September, 2023 (both days inclusive) and that the dividend, if declared by the Members for the Financial year 2022-23 at the aforesaid Annual General Meeting will be paid to those Members whose names appear in the Register of Members of the Company or as a beneficial owner in the records of the Depositories (Central Depository Services (India) Limited and National Securities Depository Limited) as on 14th September, 2023.

For U. P. Stock and Capital Limited

(Prem Bahadur Singh) Chief Executive Officer

Place: Kanpur

Dated: 11th August, 2023

Note:

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND ON A POLL TO VOTE INSTEAD OF HIM/HER SELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. The instrument appointing the proxy should, however, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

A person can act as a proxy on behalf of Members not exceeding fifty (50) and holding in the aggregate not more than ten percent (10%) of the total share capital of the Company carrying voting rights. A member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as a proxy for any other person or member.

यू.पी. स्टॉक एंड कैपिटल लिमिटेड सीआई एन: U67120UP1979PLC004876 "पदम टावर्स", 14 / 113, सिविल लाइंस, कानपुर—208 001. मो. नं.: 8004939128 ईमेल: upstockcl@gmail.com वेबसाइट: www.upstockcl.in

सूचना

उत्तर प्रदेश स्टॉक एंड कैपिटल लिमिटेड के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को सुबह 11.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय "पदम टावर्स" 14 / 113, सिविल लाइंस, कानपुर—208001, उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी। नोटिस में निर्धारित व्यवसाय का लेन—देन करना जो वार्षिक रिपोर्ट (www.upstockcl.in पर उपलब्ध है) के साथ कंपनी के उन सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजा जा रहा है, जिन्होंने अपनी ई—मेल आईडी निक्षेपागार प्रतिभागियों / कंपनी के साथ ई—मेल के माध्यम से और उन सदस्यों को भौतिक रूप से पंजीकृत कराई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि सदस्यों का रिजस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 से शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी और वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए सदस्यों द्वारा लाभांश घोषित किया जाता है। उपर्युक्त वार्षिक आम बैठक में उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 14 सितंबर, 2023 तक कंपनी के सदस्यों के रिजस्टर में या डिपॉजिटरी (सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) के रिकॉर्ड में एक लाभकारी स्वामी के रूप में दिखाई देते हैं।

यू.पी. स्टॉक एंड कैपिटल लिमिटेड के लिए दिनांक: 11.08.2023 प्रेम बहादुर सिंह स्थान: कानपुर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

नोट: बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और मतदान करने के लिए स्वयं के बजाय मतदान करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले लिखत में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

एक व्यक्ति उन सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है जो पचास (50) से अधिक नहीं हैं और कुल मिलाकर कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत (10%) से अधिक नहीं रखते हैं। मतदान का अधिकार रखने वाली कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक रखने वाला सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या सदस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।